

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर सरकन्डा स्कूल के पास Restoration कार्य हेतु रु० 14.80 लाख (चौदह लाख अस्सी हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर सरकन्डा स्कूल के पास Restoration कार्य हेतु रु० 14.80 लाख (चौदह लाख अस्सी हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. यह कार्य स्थल साहेबगंज जिला मुख्यालय से करीब 24.50 कि०मी० की दूरी पर NH-80 पर अवस्थित है।
4. इसके अन्तर्गत crated boulder reloading का कार्य कराया जायेगा।
5. यह कार्य वर्ष 2016 के बरसात के पूर्व तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-
 - i. मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण एवं
 - ii. मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन के अंतर्गत भारित होगा।
7. यह कार्य गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, गंगा पंप नहर प्रमण्डल, साहेबगंज इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।
8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस कार्य के लिए वर्ष 2015-16 में बजट उपबंध है एवं वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट में उपबंध है।

10. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्नी राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक 16.03.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

16/03/16